रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 1970/भाद्र 6, 1892
No. 143] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 1970/BHADRA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### RESOLUTION

*New Delhi, the 28th August 1970*

**No. 8/136/68-P.I. (Pers.I).**—The Government of India have from time to time taken steps for the modernisation of systems, methods and organisation of the police in the country. In 1963 when the Central Bureau of Investigation was set up, a Crime Records and Statistics Division and a Research Division were established in it. In 1966 a Police Research and Advisory Council was constituted to oversee, guide and direct the functioning of the Research Division of the Central Bureau of Investigation. In furtherance of the objective of modernisation, the Government of India have now decided to set up with immediate effect a Bureau of Police Research and Development in the Ministry of Home Affairs with a view to taking a more direct and active interest in the matter and to promoting a speedy and systematic study of police problems in a changing society and bringing about rapid application of science and technology to the methods and techniques of the police in the country.

The Bureau of Police Research and Development will have the following Divisions:—

(I) Research, Statistics and Publications.

(II) Development.

The Charter of Functions of the abovesaid Divisions will be as laid down in the Annexure.

The Research Division will identify the needs and problems of the police services in the country and initiate, stimulate and guide research in this field in co-ordination with various institutions, Organisations, Ministries, Universities, Chiefs of Research Institutes. Inspectors General of Police of States and other agencies and individuals interested in the subject.

The Development Division will keep abreast with developments in the application of science and technology to police work in the India and other countries, and study new procedures and methodologies with a view to promoting the introduction of suitable equipment and techniques in police work in India.

The Bureau will conduct tests the results of which will be circulated to the State Police forces for information and appropriate action.

Besides advising the Government of India, the Bureau will if required by the State Governments advise them on matters falling within the field of its operations.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Union territories Administrations; Director, Intelligence Bureau; Director, Central Bureau of Investigation; Director General, Border Security Force; Director General, Central Reserve Police; Director, National Police Academy; Commandant, Central Forensic Institutes; all Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANNEXURE

**I. RESEARCH, STATISTICS AND PUBLICATIONS DIVISION:**

1. Analysis and study of crime and problems of general nature affecting the police, *e.g.*

(a) Trends and causes of crime;

(b) Prevention of crime—preventive measures, their effectiveness and relationship with crime;

(c) Organisation, administration, methods and techniques of police forces and their modernisation;

(d) Improvements in methods of investigation, utility and results of introducing scientific aids and equipment;

(e) Inadequacy of laws; and

(f) Juvenile delinquency.

2. Assistance in police research programmes in States, processing and coordination of research projects; sponsoring extra-mural research.

3. Work relating to Police Research Advisory Council.

4. Participation in and convening of Conferences and Seminars relating to study of police problems.

5. Participation in social defence and crime prevention programmes.

6. Participation in the work of the United Nations in the field of prevention of crime and treatment of offenders.

7. Organisation of training courses in the research field.

8. Maintenance of all India statistics of crime.

9. Statistical analysis of trends of crime.

10. Documentation relating to police science and criminology.

11. Publication of—

(i) Research Reports, Newsletters and Research and Development Journal.

(ii) Crime in India.

(iii) Reports and Reviews relating to suicides, accidents, losses and recoveries of property and other information of police interest.

II. **DEVELOPMENT DIVISION:**

1. Review of the performance of various types of equipment used by the Police forces in India and development of new equipment in the following fields:—

(i) Arms and Ammunition;

(ii) Riot Control Equipment;

(iii) Traffic Control Equipment;

(iv) Police Transport; and

(v) Miscellaneous Scientific Equipment including aids to investigation.

2. Liaison with the National Laboratories, other scientific organisations and institutions and Public and private sector Undertakings in the above fields, co-ordination of development programmes and stimulating indigenous production of police equipment.

3. Application of computor technology in various fields of police work.

4. Participation in the work of the Central Forensic Science Advisory Committee.

5. Work relating to the establishment of the Central Medico-Legal Institute and the Central Institute of Criminology and Forensic Sciences.

6. Convening of Biennial All India Identification Officers Conference and other Conferences and Seminars to discuss the application of science and technology to police work.

7. Work relating to the Permanent Committee of the Inspectors General of Police Conference on Riot Control Equipment.

L. P. SINGH, Secy.

---

**गृह मंत्रालय**

संकल्प

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1970

सं० 8/136/68-पुलिस-(आमिक-1)—भारत सरकार ने देश में पुलिस की कार्य-प्रणालियों, पद्धतियों तथा संगठन के आधुनीकरण के लिए समय समय पर कदम उठाए हैं। 1963 में जब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई थी तब उस में एक अपराध अभिलेख तथा सांख्यिकी प्रभाग और एक अनुसंधान प्रभाग स्थापित किए गए थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुसंधान प्रभाग के कार्यकरण की देखभाल, मार्ग दर्शन तथा निर्देशन के लिए एक पुलिस अनुसंधान तथा सलाहकार परिषद् सन् 1966 में गठित की गई थी। आधुनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि इस विषय में और भी प्रत्यक्ष और सक्रिय रुचि लेने की दृष्टि से और बदलते हुए समाज में पुलिस की समस्याओं के द्रुत और क्रमबद्ध अध्ययन को आगे बढ़ाने और इस देश की पुलिस की कार्यपद्धतियों तथा तकनीक में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी का तेजी के साथ प्रयोग करने की दृष्टि से गृह मंत्रालय में एक पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो तत्काल स्थापित किया जाए।

पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो में निम्नलिखित प्रभाग होंगे:—

(i) अनुसंधान, सांख्यिकी तथा प्रकाशन

(ii) विकास

उपर्युक्त प्रभागों के कृत्यों का चार्टर ऐसा होगा, जैसा उपाबन्ध में नियत किया गया है ।

अनुसंधान प्रभाग इस बात का पता लगाएगा कि देश की पुलिस-सेवाओं की आवश्यकताएं तथा समस्याएं क्या हैं और विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों के प्रधानों, राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों तथा इस विषय में अभिरुचि रखने वाले अन्य अभिकरणों तथा व्यक्तियों के सहयोग से इस क्षेत्र में अनुसंधान आरम्भ करेगा, उसे बढ़ावा देगा तथा इस सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन करेगा ।

भारत में पुलिस सम्बन्धी कार्य में यथोचित उपस्कर तथा तकनीक प्रयोग में अभिवृद्धि करने की दृष्टि से, विकास प्रभाग भारत में तथा अन्य देशों में पुलिस के काम में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी के प्रयोग में होने वाले विकास के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी बनाए रखेगा और नई-नई प्रक्रियाओं तथा कार्य पद्धतियों का अध्ययन करेगा ।

ब्यूरो जो परीक्षण करेगा, उन के परिणाम जानकारी तथा समुचित कार्यवाई के लिए राज्य पुलिस बलों में परिचालित किए जाएंगे ।

भारत सरकार को सलाह देने के अतिरिक्त यह ब्यूरो यदि राज्य सरकारों द्वारा वैसी अपेक्षा की जाये तो, उन्हें उन मामलों में सलाह देगा जो ब्यूरों के कार्य-क्षेत्र में आते हैं ।

**आदेश**

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों: निदेशक, खुफिया ब्यूरो: निर्देशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो: महानिर्देशक, सीमा सुरक्षा बल: महा निदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस: निदेशक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी: समादेशक, केन्द्रीय न्याय वैधक संस्थान: भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाय ।

यह भी आदेश दिया गया है कि यह संकल्प जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

**उपाबन्ध**

**I—अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन प्रिभाग:**

1. अपराध तथा पुलिस को प्रभावित करने वाली सामान्य प्रकृति की समस्याओं का विश्लेषण तथा अध्ययन, उदाहरण के लिए—

(क) अपराध की प्रवृत्तियों और कारण;

(ख) अपराध की रोकथाम—रोकथाम के उपाय, उनकी प्रभावकारिता और अपराध के संबंध;

(ग) पुलिस बलों का संगठन, प्रशासन, कार्य-पद्धतियां और तकनीक और उनका आधुनीकरण;

(घ) अन्वेषण की पद्धति में सुधार, वैज्ञानिक सहायक-साधनों और उपस्कर का प्रयोग करने की उपयोगिता तथा परिणाम;

(ङ) विधियों की अपर्याप्ता; और

(च) किशोर अपचार ।

2. राज्यों में पुलिस अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता, अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यान्यन और समन्वय, क्षेत्र के बाहर के अनुसंधान का प्रायोजन ।

3. पुलिस अनुसंधान सलाहकार परिषद् सम्बन्धी कार्य ।

4. पुलिस की समस्याओं के अध्ययन के सम्बन्ध में सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेना तथा उनका आयोजन ।

5. सामाजिक प्रतिरक्षा और अपराध की रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमों में भाग लेना ।

6. अपराध की रोकथाम तथा अपराधियों के साथ व्यवहार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य में भाग लेना ।

7. अनुसंधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यचर्याओं का संगठन ।

8. अपराध विषयक अखिल भारतीय आंकड़े रखना ।

9 अपराध-प्रवृत्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण ।

10. पुलिस-विज्ञान और अपराध-विज्ञान के सम्बन्ध में दस्तावेजी प्रमाणन ।

11. निम्नलिखित का प्रकाशन—

(i) अनुसंधान रिपोर्ट, क्षुतपत्र तथा अनुसंधान और विकास पत्रिका ।

(ii) भारत में अपराध

(iii) आत्म हत्या, दुर्घटना, सम्पत्ति की हानि तथा उसका प्रत्युद्धरण और पुलिस की रुचि वाली अन्य जानकारी विषयक रिपोर्ट और समीक्षाएं ।

## II—विकास प्रभाग

1. भारत में पुलिस बलों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपस्कर के कार्यकरण और निम्नलिखित क्षेत्रों में नए उपस्कर के विकास का पुनर्विलोकन:

(i) आयुध और गोला-बारुद;

(ii) बल्वा नियंत्रण उपस्कर;

(iii) यातायात नियंत्रण उपस्कर;

(iv) पुलिस परिवहन; और

(v) प्रकीर्ण वैज्ञानिक उपस्कर, जिनके अन्तर्गत अन्वेषण के साधन भी हैं ।

2. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अन्य वैज्ञानिक संगठनों तथा संस्थाओं और पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर के उपक्रमों के साथ, जिनका सम्बन्ध उपर्युक्त क्षेत्रों से हो, सम्पर्क स्थापित करना, विकास कार्यक्रमों का समन्वय तथा पुलिस उपस्कर के देशी उत्पादन को बढ़ावा देना ।

3. पुलिस के काम के विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर प्रविधि का प्रयोग ।

4. केन्द्रीय न्याय वैधक विज्ञान सलाहकार समिति के कार्य में भाग लेना ।

5. केन्द्रीय न्याय वैधक संस्थान और केन्द्रीय अपराध विज्ञान तथा न्याय वैधक संस्थान की स्थापना विषयक कार्य ।

6. पुलिस के काम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर विचारविमर्श करने के लिए द्विवार्षिक अखिल भारतीय पहचान अधिकारी-सम्मेलन तथा अन्य सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन। पहचान अधिकारी-सम्मेलन तथा अन्य सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन ।

7. पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की बन्धा नियंत्रण उपस्कर स्थायी समिति सम्बन्धी कर्य ।

एल० पी० सिंह,
सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD. NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970